



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2859...../NGT-157/OA-555/2023

दिनांक ..04/3/2023

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com


**Sub: Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 15.12.2022 in OA No-555/2022 Vijaypal Versus State of Uttar Pradesh.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject, please find enclosed herewith response on behalf of U.P. Pollution Control Board in view of facts highlighted in report of the Joint Committee is OA No-555/2022 Vijaypal Versus State of Uttar Pradesh. Requested you to kindly get the response placed before the Hon'ble Bench for kind pursual.

**Enclosure: report.**

Yours Sincerely

  
(Utsav Sharma)  
Regional Officer

**Copy to:**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

  
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 555 OF 2022**

**IN THE MATTER OF:**

Vijaypal

...Applicant

Versus


State of U.P.

...Respondent(s)

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>Description</b>	<b>Pg.No.</b>
1	Uttar Pradesh Pollution Control Board's Response in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 15.12.2022 in OA 555/2022	1-5

**FILED BY**

  
(Utsav Sharma)  
Regional Officer  
UPPCB, Ghaziabad

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 555/2022

In the matter of:

Vijaypal

...Applicant

Versus

State of U.P.

...Respondent(s)

**COMPLIANCE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD WITH RESPECT TO ORDER DATED 15.12.2022**

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:


1. That, the instant matter was registered and taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of a complaint received by post with regards to operation of an illegal factory with the name of M/s Moon process behind Power house near Indane Gas Agency at village Partapur, District Hapur, Uttar Pradesh.
2. That, in the said complaint, the applicant has alleged that the said industry is using unapproved fuel such as Medical waste, paper, plastic, polythene, rubber, raxine, tyre, chemical cloth and other toxic chemicals for it boiler. As a result, the entire surrounding land has become infertile and emitted poisonous gases are causing damage to the environment.

3. That, in view of the averments made in the application which raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in the National Green Tribunal Act, 2010, the Hon'ble Tribunal had taken up the matter on 06.09.2022 and constituted a Joint Committee comprising of representative of District Magistrate, Hapur and the State PCB and to verify the factual position and file an action taken report.
4. That, in compliance of the above-mentioned orders of the Hon'ble Tribunal, the Joint Committee carried out site visit on 9.12.2022 and the report of the Joint Committee has been filed in Hon'ble Tribunal by the Regional Officer, Ghaziabad, Uttar Pradesh Pollution Control Board on 13.12.2022 and same has been taken on record in the order dated 15.12.2022 of Hon'ble Tribunal. Being the nodal department and signatory of the report filed, the State Board agrees to the facts filed in the said report.
5. That the said unit was operating illegally without obtaining Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 from the State Board.

6. That the said unit was engaged in manufacture of starched fabric for school bags on job-work and had installed a wood fired boiler having a capacity of 2.0 TPH.
7. That at the time of inspection the unit was found closed and as alleged, besides wood, no other waste material or plastic was found stored for being used as fuel in the boiler.
8. That in view of non-compliance with regards to establishment and operation of the unit without obtaining statutory permissions, the State Board has issued closure order against the said unit vide letter H-85448/C-1/Vayu/G-1199/Bandi Aadesh/2022 on 12.12.2022 and also imposed an environmental compensation of Rs. 10,12,500/-, copy of same is annexed as *Annexure I*. Reminder for same has also been sent through Regional Office, Ghaziabad on 27.02.2023.
9. That in view of above-mentioned closure directions, letter has been sent to electricity department on 12.12.2022 and electrical disconnection of the unit has been ensured.

The response of the State Board may kindly be taken on record.

  
(Anil Gupta)  
Scientific Assistant  
UPPCB, Ghaziabad

  
(Kishan Singh)  
Assistant Environment Engineer  
UPPCB, Ghaziabad

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 125448/C-1/वायु/G-1199/बन्दी आदेश/2022  
सेवा में,

Date: 12/12/22  
पंजीकृत

मैसर्स मून प्रोसेसर,  
ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा,  
हापुड़।

यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में फ़ैब्रिक, स्टार्च का इत्यादि का प्रयोग कर फ़ैब्रिक पर स्टार्च के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में उक्त उद्योग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी-धौलाना, हापुड़ के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल और वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर दिनांक 01.07.2022 से निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 तक कुल 162 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 10,12,500/- (रू0 दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



20  
क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2804/एनजीटी-157/ओए-555/2022/2023

दिनांक 27/2/2023

मैसर्स मून प्रोसेसर,  
ग्राम परतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी,  
पिलखुवा, जनपद हापुड़।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के अनुपालन में उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-85448/सी-1/वायु/जी-1199/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 12.12.2022 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है तथा रु० 10,12,500/- (रु० दस लाख बारह हजार पाँच सो मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में आप द्वारा वर्तमान तक उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने अथवा अपना पक्ष रखने हेतु कोई साक्ष्य राज्य बोर्ड में जमा/प्रेषित नहीं किया गया है, जो कि उपरोक्त आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को तत्काल जमा करते हुए अथवा उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र बोर्ड मुख्यालय एवं इस कार्यालय को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में सूचित करें, अन्यथा बोर्ड मुख्यालय के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में भू-राजस्व की भाँति बसूली किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद। दूरभाष-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010